पत्रांकः- 3ए-02-वे०पु०-04/2017- 1627 /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०)
महालेखाकार कार्यालय,
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः- **05/03/2018**

विषयः **दिनांक-01/01/2016 से वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के अंतर्गत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सहायक/आप्त सचिव को पूर्व में प्राप्त वित्तीय उन्नयन के पुनरीक्षित/प्रतिस्थानी वेतनमान के संबंध में स्पष्टीकरण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प सं०-630 दिनांक-21/01/2010 के द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के निजी निजी सहायक से प्रोन्नति के पद आप्त सचिव के लिए पी०बी०-2 (9300-34800) एवं ग्रेड पे 4800/- तथा 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर पी०बी०-3 ग्रेड पे 5400/- का *in-situ* उत्क्रमण लाभ स्वीकृत किया गया था।

2. ए०सी०पी० नियमावली, 2003 के प्रावधानों के आलोक में बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सहायक को प्रथम ए०सी०पी० का लाभ आप्त सचिव के वेतनमान 6500-10500/- (पुनरीक्षित पीबी-2 ग्रेड पे 4800) में प्रदान किया गया। कालांतर में इन्हें आप्त सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति (वेतनमान् पीबी-2 ग्रेड पे 4800) प्रदान की गई। इस प्रोन्नति के ठीक पूर्व एवं बाद में 20 वर्षों की सेवा पूरी होने पर एम०ए०सी०पी०, 2010 के तहत द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०बी०-2 ग्रेड पे 5400/- की वेतन संरचना में प्रदान की गई। वैसे भी आप्त सचिव हैं, जो निजी सहायक से नियमित प्रोन्नति प्राप्त कर चार वर्षों की सेवा पूरी होने पर पीबी-3 ग्रेड पे 5400 में *in-situ* उत्क्रमण लाभ प्राप्त कर चुके हैं। पीबी-3 ग्रेड पे 5400 में insitu उत्क्रमण को एम०ए०सी०पी० के दृष्टिकोण से द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्राप्त माना गया।

वित्त विभागीय संकल्प सं0-3590 दिनांकः 24.05.2017 के द्वारा दिनांकः-01/01/2016 के प्रभाव से आप्त सचिव के लिए वेतन स्तर-9 स्वीकृत किया

गया है। इसके अतिरिक्त पी०बी०-2 ग्रेड पे 5400/- एवं पीबी-3 ग्रेड पे 5400 के लिए भी यही वेतन स्तर-9 स्वीकृत है।

3. निजी सहायक, जिन्हें आप्त सचिव के वेतनमान् में दिनांक-01/01/2016 के पूर्व प्रथम ए०सी०पी० प्राप्त है तथा आप्त सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति भी मिल चुकी है, को द्वितीय एम०ए०सी०पी० के फलस्वरुप पीबी-2 ग्रेड पे 5400 अथवा पी०बी०-3 ग्रेड पे 5400/- का वेतनमान प्राप्त हो चुका है, को दिनांक-01/01/2016 से कौन-सा वेतन स्तर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमान्य होगा, इस संबंध में विभिन्न कार्यालयों/विभागों द्वारा स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गई है।

4. सम्यक् विचारोपरांत स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती है:-

(i) सीधे रूप से नियुक्त वैसे निजी सहायक, जिन्हें दिनांक- 12/07/2010 तक पी०बी०-2 ग्रेड पे 4800/- में प्रथम ए०सी०पी० प्राप्त है, को दिनांक- 01/01/2016 से वेतन स्तर-8 अनुमान्य होगा।

(ii) सीधे रूप से नियुक्त वैसे निजी सहायक, जिन्हें दिनांक- 12/07/2010 तक पी०बी०-2 ग्रेड पे 4800/- में प्रथम ए०सी०पी० प्राप्त है तथा उन्हें दिनांक- 01/01/2016 के पूर्व नियमित प्रोन्नति आप्त सचिव के पद पर हो गई है, उनका दिनांक- 01/01/2016 को वेतन पुनरीक्षण वेतन स्तर-9 में अनुमान्य होगा।

(iii) सीधे रूप से नियुक्त वैसे निजी सहायक, जिन्हें दिनांक- 01/01/2016 के पूर्व प्रथम ए०सी०पी० पी०बी०-2 ग्रेड पे 4800/- में तथा द्वितीय एम०ए०सी०पी० 20 वर्षो की सेवा के उपरांत पी०बी०-2 ग्रेड पे 5400/- में प्राप्त हुआ है, परंतु आप्त सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति दिनांक-31/12/2015 तक नहीं होने की स्थिति में दिनांक-01/01/2016 से वेतन स्तर-9 अनुमान्य होगा। ऐसे कर्मी को यदि आप्त सचिव के पद पर दिनांक- 01/01/2016 अथवा उसके बाद नियमित रूप से प्रोन्नति हो जाती है तो प्रोन्नति के फलस्वरुप योगदान की तिथि से वेतन स्तर-11 अनुमान्य हो जायेगा।

(iv) सीधे रूप से नियुक्त वैसे निजी सहायक, जिन्हें दिनांक- 01/01/2016 के पूर्व प्रथम ए०सी०पी० 6500-10500/- (पुनरीक्षित पी०बी०-2 ग्रेड पे 4800/-) के वेतनमान् में प्राप्त है तथा आप्त सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति प्राप्त हो चुका है। साथ हीं 20 वर्षो की सेवा के उपरांत द्वितीय एम०ए०सी०पी० पीबी-2, ग्रेड पे 5400/- में दिनांक- 01/01/2016 के पूर्व प्राप्त है, उन्हें दिनांक- 01/01/2016 के प्रभाव से लेवल-11 में वेतन पुनरीक्षित होगा।

(v) सीधे रूप से नियुक्त वैसे निजी सहायक, जिन्हें आप्त सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति प्राप्त हुई तथा दिनांक- 01/01/2016 के पूर्व 4 वर्षो की सेवा के उपरांत पी०बी०-3 ग्रेड पे 5400/- के वेतनमान मे स्वतः उत्क्रमण (In-situ upgradation) हुआ है, उनका दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से वेतन स्तर-9 अनुमान्य होगा। परंतु

ऐसे आप्त सचिव, जिन्हें दिनांक-01/01/2016 के पूर्व 20 वर्षो की सेवा पूरी कर ली है और *in-situ* उत्क्रमण के फलस्वरूप द्वितीय एम०ए०सी०पी० पी०बी-3 ग्रेड पे 5400/- में ही अनुमान्य हुआ है, उन्हें दिनांक- 01/01/2016 को सेवारत रहने की स्थिति में वेतन स्तर-11 अनुमान्य होगा।

(vi) जिन आप्त सचिव को दिनांक- 01/01/2016 के पूर्व तृतीय एम०ए०सी०पी० ग्रेड पे 7600/- में स्वीकृत किया गया है, उन्हें दिनांक- 01/01/2016 को सेवारत होने की स्थिति में वेतन स्तर-12 अनुमान्य होगा।

5. उपर्युक्त पुनरीक्षण के क्रम में यह ध्यान में रखा जाना होगा कि दिनांक- 01/01/2016 के पूर्व प्राप्त आखिरी वित्तीय उन्नयन का हीं पुनरीक्षण किया जाएगा न कि पूर्व में प्राप्त सभी वित्तीय उन्नयनों का पुनरीक्षण करते हुए दिनांक- 01/01/2016 को वेतन निर्धारित किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप, इस संवर्ग के सीधे रूप से नियुक्त किसी निजी सहायक को अपनुरीक्षित वेतनमान पी०बी०-2 ग्रेड पे 4600/- के आधार पर पी०बी०-2 ग्रेड पे 4800/- एवं पी०बी०-2 ग्रेड पे 5400/- में प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन क्रमशः प्राप्त हुआ हो तो दिनांक-01/01/2016 से पूर्व में प्राप्त द्वितीय वित्तीय उन्नयन के वेतनमान् पी०बी०-2 ग्रेड पे 5400/- मात्र को संबंधित स्तर में पुनरीक्षित किया जायेगा।

उपर्युक्त कंडिका-4 के अधीन हुए उत्क्रमण के संदर्भ में वेतन निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प सं०-3590, दिनांक-24/05/2017 के नियम-6(2) के प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा, किन्तु पूर्व में ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति के क्रम में यदि निर्धारण लाभ स्वीकृत किया गया है तो उन मामलों में पुनः निर्धारण लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः 3ए-2-वे०पु०-04/2017-1627/वि०　　　　पटना, दिनांकः-05/03/2018

प्रतिलिपिः **महानिबंधक**, उच्च न्यायालय, पटना/**सचिव**, बिहार विधान सभा/**सचिव**, बिहार विधान परिषद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांकः 3ए-2-वे०पु०-04/2017-1627/वि०   पटना, दिनांकः-05/03/2018

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्र० पदा०, वित्त (वैयक्ति दावा निर्धारण कोषांग) विभाग / अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग / प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

(Comp.-3A\Anil)